छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-12

नवा रायपुर अटल नगर, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

2. बहिर्गमन

धमतरी व कांकेर जिले में अवैध प्लाटिंग संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 02, 03, 04 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

4. बहिर्गमन

महासमुंद जिले के जंगलबेड़ा में वृक्षारोपण एवं अवैध पेड़ कटाई संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

मंगलवार, 17 मार्च, 2026

5. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या-05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित एवं 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

6. व्यवस्था

महासमुंद जिले के जंगलबेड़ा में वृक्षारोपण एवं अवैध पेड़ कटाई संबंधी प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य ने उनके द्वारा दिए गए प्रश्न के स्वरूप को परिवर्तित करने की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी प्रश्न का स्वरूप बदले जाने का उल्लेख करते हुए इस पर आपत्ति की।

माननीय सभापति ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की, कि यह प्रश्न अनिश्चित समय अवधि व प्रकृति का होने के कारण सचिवालय द्वारा नियमों के अंतर्गत अवधि अंकित कर ग्राह्य योग्य किया गया है ताकि प्रश्न ग्राह्य हो सके। अन्यथा प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी नियमों के अंतर्गत न होने के कारण प्रश्न ग्राह्य ही नहीं हो पाता, इसलिए उसमें अवधि अंकित है क्योंकि आप अनिश्चित काल के लिए प्रश्न नहीं कर सकते।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे छत्तीसगढ़ शासन, तथा

(2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, **पटल पर रखा।**

मंगलवार, 17 मार्च, 2026

8. पृच्छा

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा- वीबी-जीरामजी अधिनियम के तहत् केन्द्रांश कम करने से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की जाकर 12.23 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय सभापति ने स्थगन का विषय केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम से संबंधित होने एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-55 में निहित प्रावधानों के अनुकूल न होने एवं ग्राह्यता की शर्तों को पूरा न करने के कारण स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

9. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

10. बहिष्कार

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य ने कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

12. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री रिकेश सेन
3. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
5. श्री रामकुमार यादव

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री विक्रम मण्डावी
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

14. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2006 को पारित "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" पर माननीय राज्यपाल के निर्देश के अनुसरण में विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मंगलवार, 17 मार्च, 2026

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) द्वारा संक्षिप्त भाषण दिया एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2006 को पारित "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" वापस लिये जाने का प्रस्ताव किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुमति प्रदान की गई।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति ने सभा की सहमति से विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को सत्र की अल्प अवधि एवं विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुए चर्चा, विचार एवं पारण हेतु क्रमश: :-

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026),
2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक 3 सन् 2026),
3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक 4 सन् 2026),

पर 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया।

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पुरःस्थापित किया।

16. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या- 2, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 25, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-32, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या- 23, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या- 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या- 75, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-60, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या- 71, सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-77 प्रस्तुत की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों पर चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री किरण देव सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती रायमुनी भगत, श्री नीलकण्ठ टेकाम

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

(संसदीय कार्य मंत्री, श्री केदार कश्यप ने माननीय मुख्यमंत्री की अनुदान मांग की महत्वपूर्ण चर्चा में विपक्ष/प्रतिपक्ष से भाग लेने का आग्रह किया)

सर्वश्री प्रेमचंद पटेल, प्रणव कुमार मरपची, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सर्वश्री मोतीलाल साहू, आशाराम नेताम, ललित चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

श्री रोहित साहू,

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4.00 बजे का समय निर्धारित है, चूंकि अभी अभी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है, अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाएगा)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक-1 सन् 2026) का पुर:स्थापन किया।

(सायं 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा